तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2023	पत्रावली वास्ते ओदश अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2011 को डिक्री किया जा चुकी है। अपीलान्ट ने दिनांक 25.03.2012 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बृजभूमि फार्म्स लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अंनित अरूण भाई ने एक पॉवर ऑफ एटोर्नी लिखकर नोटरी से प्रमाणित करवायी, जिसके आधार पर अयुब गुलाम नवी ने उपखण्ड अधिकारी कोटडा के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी की जानकारी में आया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अंनित अरूण भाई का दिनांक 04.02.2017 को निधन हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन से प्रार्थी ने प्राप्त कर पेश किया है। जब दिनांक 04.02.2017 को मैनेजिंग डायरेक्टर अंनित अरूण भाई का निधन हो चुका था तो अंनित अरूण भाई द्वारा दिनांक 25.03.2012 को निष्पादित पॉवर ऑफ एटोर्नी स्वतः ही निरस्त हो जाती है। अतः अपील अबेट होने से निरस्त की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए विपक्षी/अपीलान्ट के अभिभाषक ने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट ने प्रकरण को लम्बा करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अंनित अरूण भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा जारी शुदा है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अंनित अरूण भाई का निधन दिनांक 04.02.2017 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में अंनित अरूण भाई द्वारा जारी पॉवर ऑफ एटोर्नी दिनांक 25.03.2012 स्वतः ही निरस्त हो जाने से उक्त पॉवर ऑफ एटोर्नी के आधार पर प्रस्तुत अपील अबेट हो जाने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट अबेट हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat Date: 2023.09.13 12:35:18 IST Reason: Self Attested (प्रदीप सिंह सांगावत) [illegible] अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested